

भाजपा राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश को दोबारा इस पद पर दोहराना चाहती है

पर, हरिवंश जद (यू) के सदस्य हैं व उनका राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा, नीतीश हरिवंश से काफी नाखुश हैं और वे उन्हें दोबारा राज्यसभा का सदस्य नहीं बनवाना चाहते हैं। नाखुशी का कारण है हरिवंश का भाजपा के बहुत नज़दीक चला जाना।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जनवरी। लोकसभा में उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का पद इसलिए खाली है, क्योंकि नरेन्द्र मोदी सरकार को अपने पहले दो कार्यकालों में भारी बहुमत मिला था, इस कारण उन्हें किसी को इस पद पर नामित करने की जरूरत नहीं लगी। राज्यसभा में जनता दल (यू) के हरिवंश उपसभापति हैं। उनकी राज्यसभा सदस्यता अप्रैल में समाप्त हो रही है और जद (यू) के सुत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार हरिवंश को दोबारा राज्यसभा भेजने के इच्छुक नहीं हैं। मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि हरिवंश धीरे-धीरे भाजपा के करीब होते जा रहे हैं और नीतीश कुमार की

- हरिवंश का भविष्य अधरझूल में है। भाजपा ने हाल ही में राज्यसभा में नये सभापति बनवाये हैं, जिनका राज्यसभा का अनुभव सीमित है। अतः, अगर सभापति व उपसभापति दोनों नए हुए तो राज्यसभा के संचालन में अस्थिरता फैलने की संभावना रहती है।
 - इस अस्थिरता की स्थिति से बचने के लिए मोदी-शाह द्वय ने 2024 के मंत्रिमंडल व अन्य नियुक्तियों को लोकसभा चुनाव के बाद ज्यों का त्यों रिपीट किया था, जिसका लाभ ओम बिड़ला को भी मिला, क्योंकि वे खुद भी मान रहे थे कि वे शायद लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रिपीट नहीं होंगे।
 - पर, साल भर से मोदी-शाह द्वय द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की चर्चा चल रही है और हर फेरबदल के बाद कुछ समय के लिए अस्थिरता व अनिश्चितता की स्थिति बनती है, जब तक नये लोगों के पांव जमते हैं। इस अनिश्चितता व अस्थिरता की स्थिति के अनुभव को कम करने के लिए भाजपा हरिवंश को डिप्टी स्पीकर बनवाना चाहती थी।
- बात नहीं सुन रहे हैं। सभापति आया है। ऐसे में हरिवंश जैसे अनुभवी व्यक्ति से स्थिरता मिल सकती है, क्योंकि वे कई वर्षों से इस पद पर हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान में सत्ता परिवर्तन भारत के लिए नुकसानदेह रहेगा

ईरान के समुचे घटनाक्रम पर भारत न केवल बारीकी से नज़र रखे हुए है, बल्कि चिंतित भी है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जनवरी। ईरान में कमजोर और गिरने के कारा पर पहुँच चुकी सरकार इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक गतिविधियों की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यह गुंजाइश पहले ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवादी चुनौतियों और चीन के क्षेत्रीय विस्तार के कारण सिमटती जा रही है। आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक थकान से प्रेरित विरोध प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए ईरान का धार्मिक नेतृत्व संघर्ष कर रहा है। ऐसे में भारत घटनाक्रम को बेहद बेचैनी के साथ देख रहा है। नई दिल्ली और तेहरान लंबे समय से क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार रहे हैं, जिनके रिश्ते भूगोल, संपर्क मार्गों और शक्ति-संतुलन से आकार लेते रहे हैं।

ईरान ने हवाई क्षेत्र बंद किया

नयी दिल्ली, 15 जनवरी। भारतीय विमान सेवा कंपनियों ने ईरान के ऊपर से गुज़रने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी है, जबकि कई अन्य के मार्गों में बदलाव किया गया है। ईरान द्वारा वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उसके हवाई क्षेत्र को बंद किये जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। टाटा समूह की एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया

- ईरान से गुज़रने वाली कई भारतीय उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या इनका मार्ग बदल दिया गया।

कि "ईरान में बने घटनाक्रम, उसके बाद हवाई क्षेत्र बंद किये जाने और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर" उस क्षेत्र से गुज़रने वाली उड़ानों के मार्ग बदले गये हैं, जिससे उड़ानों में देरी हो सकती है। उसने कहा है कि जिन उड़ानों के मार्ग बदलना फिलहाल संभव नहीं है, उन्हें रद्द कर दिया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पाकिस्तान द्वारा भारत का पश्चिम एशिया का स्थल मार्ग अवरुद्ध करने के बाद से ईरान ही भारत और पश्चिम एशिया के बीच संपर्क का जरिया है। इसमें ईरान के चाबहार पोर्ट की अहम भूमिका है।
 - अगर ईरान में सत्ता बदली तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चीन के क्षेत्रीय विस्तार और पाकिस्तान की आतंकी चुनौतियों के बीच भारत को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत के थल मार्गों को अवरुद्ध किए जाने के कारण, ईरान लंबे समय से नई दिल्ली के लिए एकमात्र व्यवहारिक पश्चिमी गलियारा रहा है। तेहरान का शिया नेतृत्व पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने का भी काम करता रहा है और भारत की सावधानीपूर्वक बनाई गई संतुलित पश्चिम एशिया नीति में एक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भी उभरा है।

- केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा, भारतीय विज्ञान विभाग के 151वें स्थापना दिवस पर यह घोषणा की और कहा कि इससे मौसम की सटीक भविष्यवाणी में मदद मिलेगी।
- जितेन्द्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 151वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह घोषणा की। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या हाईकोर्ट एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में सरकार की मंशा परखना चाहता है?

अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता को आदेश दिए कि अपील दायर होने के बाद से एस.ओ.जी. पुलिस ने कितने आरोपियों को इंटेरोगेट व गिरफ्तार किया

-यादवेन्द्र शर्मा-
जयपुर 15 जनवरी। हाईकोर्ट में एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021, को रद्द किये जाने के सिंगल बैच के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खण्डपीठ ने इस मामले से उभरे आर.पी.एस.सी. (राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन) में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्वतः सज़ान भी लिया है, वहीं दूसरी ओर आर.पी.एस.सी. सदस्य डॉ. संगीता आर्या और मंजु शर्मा ने भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है, और कहा है कि जांच में और अदालत के आदेश में उनके खिलाफ की गई टिप्पणी निराधार है। हाईकोर्ट में इन

सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। पाठकों को बता दे कि सभी मामलों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई से पूर्व, हाईकोर्ट की खण्डपीठ में सिंगल बैच के एस.आई. भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई शुरू हुई थी। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने अदालत को कहा कि एस.ओ.जी. की रिपोर्ट में कुछ गिने-चुने सेंटरों पर ही पेपर लीक होने या चीटिंग करने के या डमी केन्डीडेट बिठाये जाने के मामले सामने आए हैं। उन्होंने अदालत को कहा कि अनुमानतः बीस से तीस परीक्षा केन्द्रों पर ऐसी वारदात के तथ्य एस.ओ.जी. की रिपोर्ट में सामने आए हैं। उन्होंने

- मामले की सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से कहा गया, यह मामला व्यापक पेपर लीक का नहीं है क्योंकि कुछ ही सेंटरों पर चीटिंग व पेपर लीक की वारदात देखी गई है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को पेपर रद्द कर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
 - मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पेपर इसलिए रद्द कर देने चाहिए क्योंकि इस मामले की जाँच का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वॉट्सऐप के जरिये भी पेपर लीक किया गया था जिससे किसी भी सेंटर पर अभ्यर्थी पेपर प्राप्त कर सकते थे।
 - मूल याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह ने कहा कि इस मामले में अभी भी 12 ईनामी आरोपी फरार हैं जो अन्य प्रदेशों के गिरोहों से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बताया एक ईनामी आरोपी की मौत हो चुकी है जिस वजह से यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि उसने किस-किस को पेपर बेचा था।
- अदालत को बताया कि पूरे प्रदेश में आठ सौ परीक्षा केन्द्र थे, इसलिए जांच के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि

परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराए जाने की पूरी व्यवस्था ही खंडित हो गई थी। उन्होंने अदालत को कहा कि जांच के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि यह वारदात कुछ केन्द्र तक ही सीमित थी, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिनके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, उन्हें परीक्षा रद्द कर दण्डित न किया जाए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने भी कहा कि राज्य सरकार जांच करने के ही पक्ष में है, परन्तु परीक्षा रद्द करने का फैसला अपरिपक्व होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आगे जांच से और भी संदिग्ध आरोपी सामने आएँ, और दागी अभ्यर्थियों को बेदाग अभ्यर्थियों से अलग किया जा सके, ताकि परीक्षा रद्द करने की स्थिति न आए। वहीं आज जिरह के दौरान परीक्षा रद्द कराने के पक्ष में मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

परियोजना के तहत कुछ विनिर्माण इकाइयों को फ्रांस से भारत में स्थानांतरित किया जाएगा। सुत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष इस सौदे में स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और विमानों की सेवाक्षमता को अधिकतम करने के लिए भारत में ही रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है। सुत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष परियोजना की लागत पर आगे बातचीत करेंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘राज्य सरकार अपनी ही जाँच एजेंसी के खिलाफ बहस कर रही है’

जयपुर, 15 जनवरी। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर गुरुवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ में मूल प्रार्थी कैलाश चन्द्र शर्मा की ओर से बहस की गई। प्रार्थी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार अपनी ही जांच एजेंसी के खिलाफ बहस कर रही है। प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह व हेरेन्द्र नील ने एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ के समक्ष कहा कि इस पेपर लीक के मामले में परीक्षा

- एसआई भर्ती पेपर लीक में हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने प्रार्थी पक्ष ने दलील दी थी।

केन्द्र के कर्मचारी सहित, अन्य लोग भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा, आरपीएससी सदस्यों की भूमिका भी सामने आई है। उनकी ओर से किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है, यदि छिपाए भी है, तो वे इस केस के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डालते। मामले में प्रार्थी पक्ष की बहस खंडपीठ ने शुक्रवार को भी जारी रखी है। गौरतलब है कि इससे पहले चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट कमलाकर शर्मा ने बताया कि एसआईटी की पहली (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अभिषेक सिंघवी, सिब्बल व कई दिग्गज खड़े हुए ममता की पैरवी करने

पर, सुप्रीम कोर्ट अप्रभावित रहा इन वकीलों के दलीलों से तथा ईडी के तर्क स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी व राज्य सरकार के सीनियर पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए तथा ममता बनर्जी को तीन फरवरी तक जवाब पेश करने के आदेश दिए

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जनवरी। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार झेलनी पड़ी। उनके बचाव के लिए कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे देश के कई बड़े वकील मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चोरी के आरोपों से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निजी कंसल्टेंसी कंपनी आई-पै के दफ्तरों पर चल रही छापेमारी रोकने की मांग की गई थी। सरकार ने यह भी अनुरोध किया था कि मुख्यमंत्री के साथ गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों रद्द किए जाएं। इसके उलट अदालत ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ममता बनर्जी के वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि एक प्राइवेट पार्टी आई-पैक के ऑफिस में ईडी द्वारा की गई “रेड” को रोका जाए तथा उन पुलिस अफसरों, जो मु.मंत्री के साथ आए थे, के खिलाफ ईडी द्वारा किए गए मुकदमों को रद्द किया जाए।
- ईडी ने दलील पेश की कि ममता बनर्जी ने ईडी जाँच की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया है तथा पुलिस की मदद से सबूत की फाइलें, कागज़ात व इलैक्ट्रॉनिक उपकरण उठाकर कर ले गईं।
- अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि अगर मु.मंत्री ममता बनर्जी को कागज़ात की चोरी व ईडी की कार्यस्थली में बाधा पहुंचाने के आरोप में कोई दंड नहीं दिया गया तो इसका भारी दुष्प्रभाव पड़ेगा, देश में ईडी के रेड के मामले में तथा साथ ही ईडी के अधिकारी हतोत्साहित होकर अपने जिम्मेवारी पूरी करने में घबराएंगे।

पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल को भी वीज़ा देना स्थगित किया अमेरिका ने

ये देश उन 75 देशों की सूची में शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका सरकार द्वारा “प्रमाणित” दस्तावेज़ों की विश्वसनीयता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जनवरी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका की सरकार ने अपनी “अमेरिका फस्ट” नीति के तहत, 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए रोकने का फैसला किया है। यह रोक 21 जनवरी से लागू होगी और तब तक जारी रहेगी, जब तक वॉशिंगटन आवेदक जोखिम, पहचान सत्यापन प्रणाली और सूचनाओं के आदान-प्रदान के मामलों की पूरी समीक्षा नहीं कर लेता। इस सूची से भारत को बाहर रखा गया है, जबकि उसके कई पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल प्रभावित देशों में शामिल है। इसका मतलब है कि अमेरिकी ग्रीन कार्ड और अन्य स्थायी निवास श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिक इस रोक से सीधे प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे

- अमेरिका ने इन 75 देशों की लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया है। यह तथ्य,यह दर्शाता है कि अभी भी अमेरिका भारत को “विश्वास योग्य” पार्टनर मानता है तथा उसे यह भी विश्वास है कि भारत के लोग अमेरिका आकर अमेरिका के “बड़े दिल” का दुरुपयोग नहीं करते तथा अमेरिका पर वित्तीय बोझ नहीं बनते।
- इसका सीधा लाभ उन भारतीय नागरिकों को मिलेगा, जो अमेरिका में “ग्रीन कार्ड” व अन्य स्थायी नागरिकता पाने के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं।

समय में, जब दुनिया भर में प्रवास के रास्ते सख्त हो रहे हैं, इससे भारत को स्पष्ट लाभ मिला है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत को सूची से बाहर रखना अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारतीय दस्तावेजी व्यवस्था और आवेदकों की विश्वसनीयता पर भरोसे का संकेत है। न्यूज18 के अनुसार, यह रोक मुख्य रूप से उन देशों पर लगाई गई है, जिन्हें

पहचान में धोखाधड़ी का ज्यादा खतरा माना जाता है या जहां के आवेदकों के अमेरिका सरकार पर आर्थिक बोझ बनने की अधिक संभावना है। कथित रूप से काउन्सलर अधिकारियों को सूचीबद्ध देशों से इमिग्रेंट वीजा अस्वीकार करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही साथ एक व्यापक समीक्षा भी की जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ

किया है कि इस समीक्षा में कड़े मानदंड लागू होंगे। फॉक्स न्यूज के अनुसार, स्वास्थ्य, उम्र, पहले सरकारी मदद पर निर्भरता, अंग्रेजी ज्ञान और आर्थिक स्थिति जैसे कारक आवेदकों के खिलाफ जा सकते हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगाट ने कहा कि ऐसे संभावित प्रवासियों को अयोग्य ठहराया जाएगा, जो “अमेरिकी जनता की उदारता का दुरुपयोग” कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत का सूची से बाहर रहना खास महत्व रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोमालिया, अफगानिस्तान और यमन जैसे देशों के साथ समूहबद्ध होना पाकिस्तान के लिए एक राजनयिक और प्रतिष्ठा संबंधी झटका है। न्यूज18 ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका में बड़े धोखाधड़ी मामलों के बाद उच्च-जोखिम देशों पर सख्त नजर रखी जा रही है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्रांस से 114 राफेल खरीदने का सौदा

नई दिल्ली, 15 जनवरी। भारतीय वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्तावित सौदे में लगभग 80 प्रतिशत लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इस

- इन विमानों का 80 प्रतिशत निर्माण भारत में होगा।

परियोजना के तहत कुछ विनिर्माण इकाइयों को फ्रांस से भारत में स्थानांतरित किया जाएगा। सुत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष इस सौदे में स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और विमानों की सेवाक्षमता को अधिकतम करने के लिए भारत में ही रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है। सुत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष परियोजना की लागत पर आगे बातचीत करेंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)